निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 14 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खंड,लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खंड,लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** के माह जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राघवेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28 मई 2018 से 04 जून 2018 तक श्री डी. पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण (दिनांक: 31 मई 2018 से 02 जून 2018 तक) में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 27/07/2015 से 03.08.2015 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 03/2009 से 06/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 04/2018 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

(ii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अपस्तुत

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		**आधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2015-16	-	-	505.85	505.85	1930.71	1930.65	-	0.06
2016-17	-	-	493.44	493.44	872.19	872.12	-	0.07
2017-18	-	-	596.88	596.88	756.57	726.56	-	0.01
2018-19 (अप्रैल 2018	-	-	-83.37	-83.37	78.00	-	-	78.00

तक)								

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2015-16			-	-	-	-
2016-17	**केंद्रीय सड़क निधि (C.R.F)**	-	493.84	493.84	-	-
2017-18		-	450.00	450.00	-	-
2018-19 **(04/2018 तक)**						

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन

⇩

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वी०, उत्तराखण्ड, देहरादून

⇩

मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग, लो०नि०वी०, हल्द्वानी

⇩

अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लो०नि०वी०, हल्द्वानी

⇩

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लो०नि०वी०, हल्द्वानी

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खंड,लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के माह जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खंड,लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **मार्च 2017 एवं मार्च 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा **जनपद उधम सिंह नगर मे के** NHI **के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 74 (नया 309) के किमी. चेनेज 178.050 से 179.850 चेनेज 185.00 से 188.350 (केलखेड़ा) चेनेज 192.050 से 199.800(गदरपुर) चेनेज 252.00 से 256.9000 सितारगंज तक मार्ग के सुड़ढीकरण का कार्य** का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उस पर लेखापरीक्षा अवधि तक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह 01/2016 मे निरक्षण किया गया है ।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की लेखाबन्दी 03/2017 तक तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी 09/2017 तक की गई।
3. फार्म 51: माह अप्रैल 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` 905745.00

   भाग द्वितीय ` 14682.00

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2018 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 817656.00

   (ख) सामग्री क्रय ` -

   (ग) नगद परिशोधन ` -

   (घ) निक्षेप ` 56315032.00

   (ङ) भण्डार ` 1511592.00

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1 धन की उपलब्धतता सुनिश्चित किये बिना कार्य कराये जाने के कारण अनावश्यक दायित्व का सृजन `272.20 लाख।

जनपद उधमसिंहनगर मे राज्य योजना के अन्तर्गत NHAI के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय मार्ग सं0-74 (नया सं0 309) के किमी 175.00 से 256.900 के मध्य छुटे हुये प्रभागो में मार्ग सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 46.591 किमी) हेतु `1284.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति जनवरी 2015 में प्राप्त हुई थी। कार्य के लिए उतनी ही धनराशि की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (रा0मा0) लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी (फरवरी 2015)।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि छूटे हुए प्रभागो में सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 46.591 किमी में सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु `200.00 लाख, ` 500.00 लाख एवं ` 584.65 लाख की धनराशि क्रमशः Concessioner, सिडकुल, रूद्रपुर तथा अवशेष धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त होनी थी। ठेकेदार द्वारा सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य `1024.11 लाख का व्यय कर माह अक्टूबर 2015 में पूर्ण कर दिया गया था परन्तु सुदृढ़ीकरण कार्य पर होने वाली व्यय सहमति के अनुसार दो एजेंसियों क्रमशः Concessioner एंव सिड़कुल द्वारा पूर्ण धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण `272.20 लाख का भुगतान ठेकेदार को खण्ड द्वारा विगत 31 माह के पश्चात भी नही किया जा सका। आगे यह भी पाया गया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा दायर रिट के परिणामस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ठेकेदार को आदेश पारित होने की तिथि से छः माह की अवधि में भुगतान किया जाना था। किन्तु उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी ठेकेदार को भुगतान किया जाना लम्बित है, खण्ड के अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि अनुबंध गठित होने के 12 दिन पश्चात ही अतिरिक्त मद के रूप में ` 174.63 लाख की स्वीकृति देकर खण्ड को प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा।

इस प्रकार खण्ड ने मार्ग सदृढ़ीकरण कार्य हेतु समुचित धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य कराये जाने के कारण अनावश्यक दायित्व सृजन किया गया।

लेखपरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड ने उत्तर दिया कि ठेकेदार के भुगतान हेतु शासन से पत्राचार जारी है, शीघ्र ही सचिव स्तर की मीटिंग प्रस्तावित है जिस पर धन आंवटन की कार्यवाही की जानी है, धन आवंटन प्राप्त होते ही ठेकेदार को अवशेष व्यय का भुगतान किया जायेगा।

खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है साथ ही ठेकेदार को समय से धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण अनुबंध की शर्तो के अनुसार ब्याज के रूप में अतिरिक्त धनराशि का व्यय भी देय है।

अतः मार्ग सुदृढ़ीकरण के कार्य पर अनावश्यक दायित्व सृजन का प्रकरण शासन के संज्ञान लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 :- अनुपयोगी व्यय रु 184.35 लाख

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 378 के अनुसार, A work should be started only when the land has been finally alloted for the work.

जनपद ऊधमसिंह नगर में राज्य योजना के अंतर्गत जसपुर शहर के किमी 139 में आर. सी. सी. नाले का निर्माण कार्य हेतु रु 498.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति मई-2014 में प्राप्त हुई थी। कार्य हेतु उतनी ही धनराशि की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग, लो. नि. वि. देहरादून द्वारा प्रदान की गयी (फरवरी 2015) । कार्य हेतु गठित अनुबंध के अनुसार नाला निर्माण कार्य मई 2015 में प्रारम्भ कर अक्टूबर- 2015 में पूर्ण किया गया था।

अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग , खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखो की नमूना जांच (जून-2018) में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्राकृतिक जल निकासी, वर्षान्त के समय मार्ग जल मग्न हो जाने, जिससे मार्ग की बिटुमिन/पक्की सतह क्षतिग्रस्त होकर पैंच/गड्ढे बनने एवं यातायात की असुविधा के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण कार्य कुल 1397 मीटर लंबाई में भूमि का सर्वे किये बिना आरम्भ किया गया। जिसके कारण नाला निर्माण कार्य की लंबाई के अंतिम 335 मीटर में भूमि की अनुलब्धता के कारण निर्माण-कार्य विगत दो वर्षो से अधिक समयावधि के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया जा सका जिससे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं यातायात असुविधा की समस्या का समाधान प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार खण्ड द्वारा नाला निर्माण-कार्य पर रु 184.35 लाख का अनुपयोगी व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय काश्तकारों द्वारा विवाद उत्पन्न किए जाने के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है। जिसमें एक काश्तकार द्वारा कोर्ट में रिट दायर की गयी है, रिट का निर्णय होने के उपरांत ही शेष कार्य कराया जाना सम्भव होगा। आगे खण्ड ने उत्तर दिया कि पानी कि निकासी पुराने बने गूल से अंतिम 200 मीटर भाग में हो रही है किन्तु काश्तकार यहाँ पर कच्ची नाली नहीं बनाने दे रहे है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दु की पुष्टि करता है साथ ही निर्माण-कार्य में विभागीय शिथिलता का भी, क्योंकि खण्ड ने नाला-निर्माण कार्य की कुल लंबाई में भूमि की उपलब्धता

सुनिश्चित किए बिना ही कुल लम्बाई में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना हे उक्त नाला निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया । जिसकी कोई उपयोगिता लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं है।

अत: वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण रु 184.35 लाख के अनुपयोगी व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
1.	45/2007-08	1	1
2.	67/2008-09	-	1
3.	49/2015-16	-	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	उपरोक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या खण्ड द्वारा उच्च अधिकारियों की टिप्पणी के उपरान्त महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों** का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख:
3. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारियों द्वारा कार्यभार वहन किया गया**

श्री आर. एस. बरफाल	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति मीना भट्ट	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 26.05.2016 तक
2.	श्री महेंद्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 26.05.2016 से 16.12.2017 तक
3.	श्री पी.सी. जोशी	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 16.12.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-II) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II